

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

पत्रांक-21/रा.सू.आ.-06/2025,सा.प्र...../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो. आफाक अहमद
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार।

पटना-15, दिनांक.....

विषय:- बिहार सूचना आयोग के द्वितीय अपील वाद संख्या-A 8149/2022, श्री पंकज बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-सहायक प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया (प. चम्पारण) में दिनांक 13.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग - बिहार सूचना आयोग, पटना ज्ञापांक 3503 दिनांक 21.05.2025
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार सूचना आयोग, पटना के ज्ञापांक 3503 दिनांक 21.05.2025 के साथ संलग्न लोक सूचना पदाधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण का पत्रांक 08 दिनांक 21.02.2021 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि अपने अधीनस्थ सभी लोक सूचना पदाधिकारियों को बिहार सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए भविष्य में किसी भी लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करने तथा ससमय सूचना उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु.यथोक्त।

विश्वासभाजन,

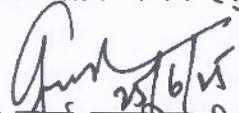
ह0/-

(मो. आफाक अहमद)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-21/रा.सू.आ.-06/2025,सा.प्र.।1.4.9.4/पटना-15.25.6.25

प्रतिलिपि :-प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सूचना आयोग, पटना/आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।



बिहार सूचना आयोग

चौथा तल्ला, सूचना भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), बिहार, पटना-800013

दूरभाष-2215713, 2235059, फैक्स-2235466 / वेबसाइट-www.sic.bih.nic.in

सामान्य प्रशासन विभाग
पटि

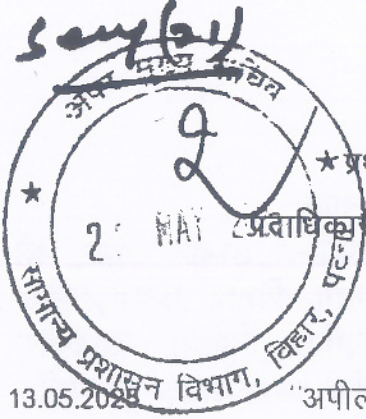
वाद सं०- A 8149/2022

श्री पंकज

बनाम्

23 MAY 2025

5553/2022



* प्रथम अपीलीय प्राधिकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / लोक सूचना

पदाधिकारी-सह-सहायक प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,

बेतिया, पश्चिम चम्पारण-

13.05.2025 अपीलार्थी

अपीलार्थी की ओर से श्री मणिलाल
उपस्थित हैं।

लोक सूचना पदाधिकारी

डॉ० नरेश प्रसाद यादव, सहायक
प्राध्यापक, राजकीय चिकित्सा
महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिमी चंपारण एवं
श्री मनीष कुमार, उ०व०लि० उपस्थित हैं।

07.12.2020

27.01.2021

पत्रांक-क दायर करने की तिथि

प्रथम अपील दायर करने की तिथि

विदित है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को सशक्त बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी है कि जो सूचना मांगी जा रही है, उसे ससमय उपलब्ध करायी जाय तथा इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोक सूचना पदाधिकारी का दायित्व बनता है कि वे पूर्ण रूप से सूचना उपलब्ध कराने में अपना सहयोग प्रदान करें।

प्रस्तुत मामले में लोक सूचना पदाधिकारी को सूचना विलंब से अपीलार्थी को उपलब्ध कराने के लिए चेतावनी दी जाती है। तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी आयोग में आने में असमर्थ है, क्योंकि उनका पैर टूट गया है और वे साढ़े तीन साल पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस संबंध में उन्होंने अपना मेडिकल रिपोर्ट भी आयोग को प्रेषित किया है। लेकिन तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी-सह-सहायक प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चंपारण द्वारा पत्रांक 08 दिनांक 11.02.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को दी गई सूचना में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, वह सूचना के अधिकार अधिनियम के विरुद्ध है एवं इस तरह की भाषा का प्रयोग कर आवेदक को सूचना देना दंडनीय भी है। अतः उक्त पत्रांक 08 दिनांक 11.02.2021 की प्रति अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को इस आदेश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाती है तथा उनसे अपेक्षा की जाती है कि दी गई सूचना में इस तरह की भाषा का प्रयोग कोई लोक सूचना पदाधिकारी भविष्य में नहीं करें, इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश राज्य के सभी विभागों को देना सुनिश्चित करेंगे तथा उसकी प्रति सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाय, ताकि

(नोट- इस वाद से संबंधित सभी प्रकार के पत्राचार/मंतव्य वाद संख्या सहित आयोग के इस हेतु

आधिकारिक ई-मेल reply.bic@bihar.gov.in पर ही स्वीकार्य किये जायेंगे।)

50(अनु०) का 21

सभी लोक सूचना पदाधिकारी इसे देख सकें और आवेदक को ऐसी जानकारी या सूचना में इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से बच सकें। इस निदेश के साथ वाद को निस्तारित किया जाता है।"

ह०/-

(प्रकाश कुमार)

राज्य सूचना आयुक्त

ज्ञापांक सी०-४/३५०३...../रा०सू०आ०पटना, दिनांक-२१/०५/२०२५

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (पत्रांक-०८ दिनांक-११.०२.२०२१ की छायाप्रति संलग्न)/प्रथम अपीलीय प्राधिकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अपर निदेशक-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण-८४५४३८ (अपने स्तर से संबंधित को इस आदेश से अवगत करायें)/उपाधीक्षक-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया, प० चम्पारण-८४५४३८/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-सहायक प्रध्यापक, पैथोलॉजी विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण-८४५४३८/श्री पंकज, पिता-स्व० विश्वनाथ सिंह, न्यू कॉलोनी, डाक बंगला रोड, पो०-बेतिया, पश्चिम चम्पारण-८४५४३८ मो०-९४७००९११७७ को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(नोट:- पक्षकार सुनवाई में वर्चुअल मोड से अथवा स्वयं उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। वर्चुअल मोड से सुनवाई में भाग लेने के लिए लिंक निम्न है:-sic.bihar.gov.in)

अनु०:-यथोक्त।

(शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय)
प्रशाखा पदाधिकारी

१५/०५

बिहार सरकार

भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण
(चतुर्थ तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना।)

Phone No-+916124531671

E-mail Id:-reat-bih@gov.in

ज्ञापांक-०१/भू०स०अ०न्या/स्था०-१०/२०२४-३९८

पटना, दिनांक-०७-०७-२०२५

प्रतिलिपि:-विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आई०टी०प्रबंधक, भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Shailendra Kumar Kari
निबंधक 4/7/25

भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण,
बिहार, पटना।

(नोट:- "इस वाद से संबंधित सभी प्रकार के पत्राचार/मंतव्य वाद संख्या सहित आयोग के इस हेतु आधिकारिक ई-मेल reply.bic@bihar.gov.in पर ही स्वीकार्य किये जायेंगे।")

348

कार्यालय:- लोक सूचना पदाधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय
बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

पत्रांक ०४ /

प्रेषक,

डा० प्रमोद कुमार

सहायक प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग सह लोक सूचना पदाधिकारी

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय

बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

सेवा मे,

श्री पंकज

न्यू कॉलनी, डाक बंगला रोड

बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

बेतिया, दिनांक 11.02.21

विषय - सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक आपका पत्र दिनांक - 25.01.21 द्वारा माँगी सूचना जो चिकित्सकों की आवासीय सूचना से सम्बन्धित है के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपके द्वारा आवासीय पता माँगने का (Intention) उद्देश्य क्या है इसकी सूचना लिखित रूप से दे क्योंकि अगर इस संस्थान में कार्यरत चिकित्सकों के साथ किसी प्रकार की अग्रिय घटना/दुर्घटना घटती है तो आपसे भी पूछ-ताछ की जायेगी एवं आपके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती हैं।

स्व-अभिप्रेत
पुनः
24/12/21

डा० प्रमोद कुमार
सहायक प्राध्यापक पैथोलॉजी विभाग
सह लोक सूचना पदाधिकारी,
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय
बेतिया, पश्चिम चम्पारण।

03.02.21